I J C R M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

कार्य स्थल (विद्यालयों) पर बालिकाओं में लैंगिक (जेण्डर) उत्पीड़न का एक अनुभवात्मक अनुसन्धान

विजय कुमार सारस्वत [1*], डॉ. साहब राम [2]

[1] शिक्षा संकाय, आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), सरदारशहर, चूरू, राजस्थान, भारत

[2] शोध निर्देशक, आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), सरदारशहर, चूरू, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: *विजय कुमार सारस्वत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15658407

सारांश

बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के आये दिन अनेकों उदाहरण देखने एवं पढ़ने को मिलते हैं। लैंगिक हिसा, अन्याय, भेद-भाव, शोषण सभी समाजों में अलग-अलग अनुपाातों में, परन्तु विद्यमान अवश्य है, वर्ष 1995 से भारत में नारी प्रताड़ना एव ंदहेज मृत्यु की संख्या में वृद्धि हुई एवं इससे सम्बन्धित अपराधों में भारत सबसे ऊपर है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य: विधालयो (कार्यस्थल) में बालिकाओं के साथ लैंगिक आधार पर शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक तथा यौन उत्पीड़न का अध्ययन करना था। इसी के आधार पर सकारात्मक परिकल्पना: विधालयो (कार्यस्थल) में बालिकाओं के साथ लैंगिक आधार पर शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक तथा यौन उत्पीड़न पाया जाता हैं का निर्माण किया गया। जिसके परीक्षण हेतु के लिए सर्वेक्षण किया जो संरचित साक्षात्कार प्रश्नावली व अभिभावकों के साथ सामूहिक चर्चा द्वारा पूर्ण किया है। शोधकर्ता द्वारा आकड़ांे के संकलन के ग्रामीण क्षेत्र की अध्ययनरत बालिकाओं से कार्यस्थल (विद्यालय) पर होने वाले उत्पीड़न के सम्बन्ध में विचार/मत प्राप्त करने के लिए गुप्त पेटिकाओं का उपयोग किया। कार्यस्थल (विद्यालय) पर होने वाले उत्पीड़न के सम्बन्ध में मत/अनुभव प्राप्त करने के हेतु दस-दस दिवसीय दो शिवरों का आयोजन महिलाओं के उपचारात्मक एवं संरक्षणात्मक अधिकारों की जानकारी/जागरुकता के लिए किया गया और इन शिविरों में ग्रामीणों क्षेत्र में अध्ययनरत बालिकाओं को अपने मत कार्यस्थल (विद्यालय) पर होने वाले उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्रकट करने हेतु संकेतक एवं गुप्त माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। चूरू जिले के सुदूर सुविधावंचित गावों के विद्यालयों में 1. राजकीय उच्च मा. विद्यालय खेरू बड़ी तथा 2. राजकीय उच्च मा. विद्यालय रामपुरा बेरी की उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के बालिकाओं को शिविर में शामिल किया। जिसमें कुल 143 बालिकाओं का आयु वर्ग प्रथम वर्ग 9 से 12 वर्ष, द्वितीय वर्ग 12 से 15 वर्ष, तृतीय वर्ग 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं ने भाग लिया। आकड़ों के संकलन हेतु लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित अर्द्धसंरचित साक्षात्कार प्रश्नावली एवं समूह चर्चा का प्रयोग शोधकत्ता द्वारा किया गया। शोध के निष्कर्ष में पाया कि विभिन्न कक्षाओ की बालिकाओं ने विधालयो (कार्यस्थल) में बालिकाओं के साथ लैंगिक आधार पर शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक तथा यौन उत्पीड़न के किसी भी प्रकार को स्वीकार नही किया गया है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 28-03-2025
- **Accepted:** 18-04-2025
- **Published:** 29-04-2025
- **IJCRM:**4(2); 2025: 362-366
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

विजय कुमार सारस्वत, साहब राम, कार्य स्थल (विद्यालयों) पर बालिकाओं में लैंगिक (जेण्डर) उत्पीड़न का एक अनुभवात्मक अनुसन्धान. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(2):362-366.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्दावली: लैंगिक उत्पीड़न, कार्यस्थल (विद्यालय) और सामाजिक डत्पीड़न।

© 2025 विजय कुमार सारस्वत, डॉ. साहब राम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

नारी विधाता की सृष्टि का अनुपम रहस्य है उसमें भीषणता कोमलता अखण्डता और सुकुमारता के साथ कठोरता, सरलता, शीतलता, कटुता, मृदूता, लावण्यता, मधुरता, हृदयहीनता, सह-हृदयता भी है। समाज के अनिवार्य एवं अपिरहार्य रूप से कार्य करने वाली नारी की कुछ ऐसी विषेषताएँ है, जिनके कारण नारी को सम्मानीय स्थान प्राप्त है। सृष्टि संचालको में सहायक होने के बाद लालन-पालन में कष्ट सहिषुणता का रूप उसे समाज में सम्मान जनक स्थान दिलाता है। उसमें लालन-पालन में कष्ट, सहिष्णुता का भाव प्रकट होता है। नारी विहीन समाज की कल्पना असम्भव है नारी न केवल परिवार की धुरी होती है, अपितु पूरी पीढ़ी की निर्माता होती है नारी का नाम आते ही नारी के अनेक रूप आँखो के सामने उजागर हो जाते है। राष्ट्रीय महिला सषक्तिकरण नीति 2001 शीर्षक के तहत जेन्डर सम्बन्धी असमानता कई रूपों में ऊभर कर सामने आती है जिसमें से सबसे प्रमुख विगत कुछ दशकों में जनसंख्या मे महिलाओं के अनुपात मे निरन्तर गिरावट की रूझान है। सामाजिक रूढ़िवादी सोच और घरेलु तथा समाज के स्तर पर हिंसा उसके कुछ अन्य रूप है। बालिकाओं, किषोरियों तथा महिलाओं के प्रति उत्पीड़न भारत के अनेक भागों मे जारी है जिसमें बालिकाओं का कम उम्र में विवाह करना जो आज भी राजस्थान में देखने को मिलता है तथा राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र चूरू झूझुंनू तथा सीकर में बालक बालिका अनुपात में भिन्नता जो असमानता (उत्पीड़न) को दर्शाता है इस उत्पीड़न से उत्पन्न अन्य आगे के परिणाम कन्या भ्रुण हत्या बालिकाओं के बाल विवाह ये सभी बालिकाओं के उत्पीड़न के रूप है। ;प्छक्प्।ए 2001द्ध लैंगिक हिसा, अन्याय, भेद-भाव, शोषण सभी समाजों में अलग-अलग अनुपाातों में, परन्तु विद्यमान अवष्य है, वर्ष 1995 से भारत में नारी प्रताड़ना एव दहेज मृत्यु की संख्या में वृद्धि हुई एवं इससे सम्बन्धित अपराधों में भारत सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया में भारत ही एक मात्र देष है जहाँ महिलाओं व बालिकाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और भारतीय संस्कृति "यत्र नार्यस्तु, पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" के दर्षन पर विष्वास करती है।

भारतीय समाज आज भी एक परंपरागत और पितृसतात्मक परिवार व्यवस्था है तथा महिलाओं की स्थिति पुरूषों की तुलना में निम्न है। सदैव से महिलाएं उपेक्षित रही है, इनको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान में महिलाओ के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए जहाँ एक तरफ सवैधानिक प्रावधान किए गए है, वही दूसरी तरफ संवैधानिक और संविधानंतर कदम भी समय-समय पर उठाए जाते रहे हैं।

यह विशाखा बनाम राजस्थान राज्य था जिसमें अंततः उत्पीडन का सामना करने वाली पीडिता के लिए एक समिति बनाने के लिए कुछ दिशानिर्दे ंश निर्धारित किए।यह थे कि, उस संगठन का कर्तव्य है जहां एक व्यक्ति कार्यरत है या एक नियोंक्ता या कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्यस्थलों या संस्थानों में नियोजित करने के लिए उतरदायी है, को यौन उत्पीडन के कृत्यों में कमीशलाना व रोकना चाहिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के सभी रूपों और कृत्यों का समाधान करना और उनका निपटान करना।

संबंधित साहित्य की समीक्षा

पंथ रमि (2013) महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं एवं उनके कारकों का अध्ययन खण्ड कानालीछीना जिला पिथोरागढ़ षीर्षक पर शोध कार्य किया अपने निष्कर्ष में पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शारीरिक, शैक्षिक आर्थिक एवं पारिवारिक स्थित अत्यन्त सोचनीय है । पोष्टिक भोजन स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का अभाव परिवार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के बोझ के चलते ये महिलाएँ अत्यन्त निम्न स्तरीय जीवन यापन कर रहीं है गोस्वामी (2013) पश्चिमी बंगाल राज्य के पूर्वी मिदनापुर जिले के गा्रमीण भारत में लैंगिक भेदभाव का अध्ययन जिसमें बताया कि महिलाओं पर काम का बोझ पुरूषों की अपेक्षा अधिक है। शास्त्री हासमती डी 2009 मेहसाणा जिले में लेगिंक भेद भाव की व्यापकता एक अध्ययन किया और बताया कि पुरूषों और महिलाओं के शैक्षिक स्तर में असमानता है। शिक्षा और लिंग भेदभाव के बीच सकारात्मक सम्बन्ध को दर्शाता है। माता-पिता बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की शिक्षा पर अधिक खर्च करना पंसद करते है सोशल एक्सन फोरम (2007) ने उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के साथ भेद-भाव का अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के प्रयासों से महिला बच्चे को समाज में समानता मिलेगी शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं का शरीरिक एवं मानसिक विकास करके उनकी पूरी क्षमता को विकसित करके बालिकाओं को बालकों के समान सक्षम बनाया जा सकता है। गौड़ विजेता (2007) एवं नाराणियाँ प्रियंका उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सरकारी व निजी विद्यालय की छात्राओं में महिलाओं के यौन, शारीरिक, सांवेगिक, आर्थिक,सामाजिक उतनीड़न के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया गया है। जैन मोहिनी और अरशद मोहम्मद (2017) ने महिलाओं के विरूद्ध घरेलु हिंसा एक समाजषास्त्री अध्ययन में निष्कर्ष में पाया कि सर्वाधिक घरेलु हिंसा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर होती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर घरेलु हिंसा के स्तर को कम किया जा सकता है शैक्षिक योग्यता कम होना घरेलु हिंसा का प्रमुख कारण है उच्च शिक्षा से घरेलु हिंसा को रोका जा सकता है घरेलु हिंसा का मुख्य कारण लैंगिक भेदभाव है। खण्डेलवाल, शिवा (2015) ने महिला उत्पीडन एवं कानूनी सरक्षण में महिलाओं में उत्पीड़न तथा कानूनी संरक्षण के विषय में जानकारी प्रदान की। कल्याणी सेन और अक्षय कुमार (2001) ने बालिकाओं के साथ कई तरह का भेदभाव पाया जाता है। स्तनपान के कई महीने कम पालन पोषण और कम देखभाल या चिकित्सा उपचार अगर वे बीमार पड़ते है तो विशेष भोजन से कम, कम माता-पिता का ध्यान, नतीजन लड़कियां, लड़कों की तुलना में बीमारी और संक्रमण के प्रति अधिक सवेदंनशील होती है। जिसके कारण कमजोर स्वास्थ्य और कम उम्र में शादी कर देना कारण प्रमुख है। बैले एंव मुकुट (2019) ने ईंट भट्टो उद्योग में काम करने वाले बच्चों के लिए पारिवारिक रणनीतियांः दक्षिण पूर्व भारत का मामला के अध्ययन में बताया कि आमतौर पर माता-पिता अपने बच्चों से कम उम्र में ही काम करवाते हैं और विशेष कार्यों के माध्यम से उनकी प्रगति उनकी शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप होती है। वहीं माता-पिता स्पष्ट रूप से अपने बच्चों से काम करने की अपेक्षा रखते है। डेल्फिन बाउटिन (2019) डकार क्षेत्र में कुरानिक स्कूल के छात्रों का एक चित्र" नामक शीर्षक पर शोध में कार्य किया। सघंमित्रा एवं चैधरी, शैलेन्द्र कुमार (2021) ने पूर्वोतर भारत में महिलाओं का लिंग भेदभाव और हाशिए पर रहना" शीर्षक पर अपने शोध पत्र में सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा के आलोक में पांडुलिपि उतर पूर्वी भारतीय राज्यों में विशेष रूप से असम और मणिपुर राज्य में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण

© 2025 विजय कुमार सारस्वत, डॉ. साहब राम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

करने का प्रयास करती है। बर्टा एस्टेव-बोल्ट (2004) ने लिंग भेदभाव और विकासः भारत से सिद्धान्त और साक्ष्य'' शोध पत्र में बताया गया है कि लैंगिक असमानता एक गम्भीर और लगातार समस्या है। एग्स पार्वती, पीथमिज चेल्विकर (2020) ने भारत में लैंगिक भेदभाव-एक अध्ययन शीर्षक पर शोध पत्र में बताया है कि लैंगिक समानता मानव अधिकरों का एक महत्वपूर्ण उपाय है 2000 के शहस्त्रावदी विकास लक्ष्यों के वाद से यह स्वीकृत है कि लिंग अन्तर को कम करना या लैंगिक भेदभाव की भयाभवता का सामना करना पड़ रहा है। शिव कुमार एवं मारीमुथु (2008) ने भारत में लिंग भेदभाव और महिला विकास ने अपने शोध पत्र में बताया है कि लैगिंक भेदभाव केवल महिलाओं के लिए है क्योंकि महिलाएं ही लैंगिक भेदभाव की शिकार है। चेलिया, केवी डोमिनिक (2019) ने भारत में लिंग भेदभाव लिंग सिंहावलोकन शोध पत्र में बताया है कि भारत में लिंग भेदभाव व वर्ग अलगाव बहुत उच्च दर पर है। शर्मा रतिका (2015) ने भारत में लिंग असमानताः कारण और उपचार'' पर अध्ययन किया कि भारत में लिगें असमानता व्याप्त है जिसके कारणों में पितृसता समाज, पुत्र वरीयता तथा लड़कियों के साथ भेदभाव है। शिवा कुमार (2008) ने भारत में जेण्डर भेदभाव और महिला विकास का अध्ययन किया जो भारत में लैगिंक भेदभाव इसके विभिन्न रूपों और इसके कारणों से सम्बन्धित है विकास में महिलाओं के महत्व, महिलाओं के लिए कानून और लैंगिक भेदभाव का समाधान पर भी अध्ययन किया है। रविन्द्रनाथ सिह एवम अन्य (2019) ने भारत में शिक्षा जेण्डर विभाजन:एक महत्वपूर्ण अध्ययन पर आधारित शिक्षा का कार्यात्मक सिद्धान्त'' का अध्ययन किया जिसके माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित करने के महत्व का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। कुबेन्द्र ए. (2014) ने लिंग भेदभावः शीर्षक पर शोध कार्य किया अपने निष्कर्ष में पाया कि सामाजिक संस्थाओं के पास इनाम देने और दण्डित करने की बड़ी शक्ति होती है, वे भौतिक सामान प्रदान करते हैं। माधवी वर्मा ने अरुंधति रॉय के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में लिंग पूर्वाग्रह के खिलाफ महिलाओं के संघर्ष पर आधारित अपने शोध पत्र में बताया है कि यह उपन्यास एक पुरुष-प्रधान समाज में महिलाओं की दुर्दशा का सच्चा चित्रण प्रस्तुत करता है। जहाँ महिलाऐं अपनी पहिचान हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है संधू डी.डी.एस (2015) ने जेण्डर भेदभाव गंभीर सामाजिक समस्या शीर्षक पर शोध कार्य किया अपने निष्कर्ष में पाया कि म्हिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नहीं है, अगर उन्हें, सही शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाए तो वे समाज को एक नई दिषा दे सकती है। (sandu 2015) सिंह नीलू, और बिश्नोई रश्मी (2015) ने आजमगढ़ जनपढ़ में महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली घरेलू हिंसा से अभिप्रायः आजमगढ़ जनपद के सन्दर्भ में शीर्षक पर शोध कार्य किया शोध महिलाओं के विरूद्ध घरेलु हिसां को अध्ययन करना, महिलाओं के विरूद्ध घरेलु हिसां का कारणों तथा निवारणों का पता लगया। निरोज सिंह (1989) ने घरेलू हिंसा के लिए पितृसतात्मक सामाजिक व्यवस्था को उतरदायी बताया है। विजय गंभीर ने (2000) में महिलाओं के विरूद्ध अपराध संबंधी अपने अध्ययन में दहेज पीड़ित महिलाएँ अपने साथ दुव्र्यवहार के लिए मुख्यतया पति व सास को दोषी बताती है। अन्यों में क्रमशः ससुर, ननद, देवर, जेठ व जेठानी की सहभागिता पाई गई। यहाँ तक एकाकी परिवारों में अलग रहते हुए भी सास और परिवार की अन्य महिला सदस्य की यदाकदा उत्पीड़न के लिए पति को उकसाकर दहेज प्रताड़ना में सहभागिता पायी गई। सेठ और अनुकपूर (1987) ने अपनी पत्रिका श्ैवबपवसवहल व िइमजजमतमक ूवउमदश् के अध्ययन में लिखा है कि पत्नियाँ अपने पति के द्वारा इसलिए अधिक मारी-पीटी जाती है, क्योंकि वे उनकी मर्जी के खिलाफ काम करती है चाहे वे किसी व्यवसाय या षिक्षा के किसी भी स्तर की क्यों न हो। चन्द्रभान (2001) ''महिला घरेलू हिंसा'' में बताया कि अधिकाशं महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार इसलिए होती है, क्योंकि उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है और जो महिलाएँ अपने अधिकारों की जानकारी रखती है, वे इसलिए प्रयोग नहीं कर पाती क्योंकि उनके प्रति पुरूषों की संकीर्ण मानसिकता अवरोध का कार्य करती है। पटेल, अनीता (2002) ''महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक'' ने शोध-पत्र में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मानसिक स्थिति और उनके बच्चों के विकास में हिंसात्मक परिवेश में नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है। मजूलता (2004) ''अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न'' ने अध्ययन के निष्कर्ष में बताया है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में स्थिथि निम्न होने के कारण उनमें उत्पीड़न की मात्रा अधिक पायी जाती है। अधिकांश महिलाओं का उत्पीड़न स्वरूप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व आर्थिक प्रकार होता है। लुथर के हर्ष, लूथर के विपिन (2008) अमेरिकी, भारतीय और चीनी छात्रों के बीच यौन उत्पीड़न की तुलना की सम्भावना। शीर्षक पर अध्ययन किया। अपने शोध के निष्कर्ष में पाया कि अधिकांश परिकल्पनाएं सार्थक है जबकि पुरूषो ने स्ेाी पैमाने पर महिलाओं की तुलना में अधिक स्कोर किया, चीनी व भारतीय पुरूषों ने अमेरिकी पुरूषों की तुलना में स्ेाी पर काफी अधिक अंक बनाये चीनी महिलाओं ने अमेरिकी महिलाओं की तुलना में काफी अधिक अंक बनाए। (luthar k harsh, 2008)

शोद्य समस्याः- उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि काफी लम्बे समय से परिवार व विधालय में बालिकाओं के साथ लैगिक उत्पीड़न का प्रचलन है। विधालय में बालिकाओं के साथ किस प्रकार के उत्पीड़न किये जाते है तथा इनके पीछे क्या-क्या कारण है। शोधकर्ता का विचार है कि बालिकाओं के साथ विद्यालयों में किये जाने वाले उत्पीड़न आज भी प्रचलित है व यह प्रचलन विधालय मे भी है इस विचार से प्रभावित होकर शोधकर्ता ने एक विचार किया कि विधालय मे बालिकाओं के साथ किये जाने वाले लैंगिक उत्पीड़न के बारे मे ग्रामीण अध्ययनरत बालिकाओं के विचार जानने के प्रयत्न किया है। अपने प्रस्तुत शोध का शीर्षक निम्न रखा है ' कार्यस्थल (विधालय) पर बालिकाओं में लैंगिक उत्पीड़न का एक अनुभवात्मक अनुसन्धान रखा है।

शोध के उद्देश्य

विधालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के साथ होने वालेे लैंगिक उत्पीड़न का अध्ययन करना ।

शोध की परिकल्पना

विधालयो (कार्यस्थल) में बालिकाओं के साथ लैंगिक आधार पर शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक तथा यौन उत्पीड़न होता है ।

शोध विधि प्रक्रिया

शोधकर्ता द्वारा यहां एक बहुत विस्तृत और वर्णनात्मक शोध प्रारूप तैयार किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों का अनुसरण किया गया है। आकड़ों के संग्रह के लिए स्वरचित साक्षात्कर प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। डेटा प्रविष्टि के लिए मानक सांख्यिकीय पद्वति का पालन किया जाता है। अन्त में किसी

© 2025 विजय कुमार सारस्वत, डॉ. साहब राम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए डेटा विश्लेषण किया जाता है। इस शोध में सत्य की खोज के लिए सर्वेक्षण किया जो संरचित साक्षात्कार प्रश्नावली व अभिभावकों के साथ सामूहिक चर्चा द्वारा पूर्ण किया है। जो एक विस्तृत तरीके से कार्यस्थल (विद्यालय) पर बालिकाओं में लैंगिक उत्पीड़न का पता लगाया जाये। इस हेतु उत्तरदाता के परिपेक्ष्य को समझने के लिए कुछ वर्णात्मक प्रश्नों के साथ प्रश्नावली तैयार की गई है जिसमें समाज के शोषितो का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। शोध में एक सर्वेक्षण उन उत्तरदाताओं से सम्बन्धित है जिसमें शोध प्रश्न की खोज के लिए जाँच की जा रही है। अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तरदाताओं की जाॅच की जा रही है। चूंकि परिवार व कार्यस्थल (विद्यालय) पर उत्पीड़न को समझना मुश्किल है। इसके हर पहलू को सटीक से समझने की जरुरत है और उत्तरदाता को इस बारे में बात करने के लिए तनाव मुक्त वातावरण की जरुरत है। इसके लिए शोधकार्य में दन्त संकलन की प्रक्रिया में शोधकर्ता द्वारा आकड़ो के संकलन के ग्रामीण क्षेत्र की अध्ययनरत बालिकाओं से कार्यस्थल (विद्यालय) पर होने वाले उत्पीड़न के सम्बन्ध में विचार/मत प्राप्त करने के लिए गुप्त पेटिकाओं का उपयोग किया इसके लिए शोधकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की अध्ययनरत बालिकाओं को परिवार एवं कार्यस्थल (विद्यालय) पर होने वाले उत्पीड़न के सम्बन्ध में मत प्राप्त करने के हेतु दस-दस दिवसीय दो शिवरों का आयोजन महिलाओं के उपचारात्मक एवं संरक्षणात्मक अधिकारों की जानकारी/जागरुकता के लिए किया गया और इन शिविरों में ग्रामीणों क्षेत्र में अध्ययनरत बालिकाओं को अपने मत कार्यस्थल (विद्यालय) पर होने वाले उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्रकट करने हेतु संकेतक एवं गुप्त माध्यम से व्यक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। शिविरों में मुख्य वक्ता सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती एन.एस.एम. पूनियां एवं महिला और बालिकाओं के उपचारात्मक एवं संरक्षणात्मक अधिकारों की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती शोभा सारण तथा मुख्य समाज सेवी श्रीमती आशा देवी पूनियां, जिनकी सहायता शोधकर्ता द्वारा कार्यस्थल (विद्यालय) पर बालिकाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के बारे में जानकारी प्रदान करने और यह किस-किस प्रकार का हो सकता है, एवं इससे किस प्रकार संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है की जानकारी प्रदान करने में उपयोग किया गया जो शोधकर्ता के अध्ययन क्षेत्र में शामिल चूरू जिले के सुदूर सुविधावंचित गावों के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं से सम्बन्धित है। शोधकर्ता द्वारा यहाँ विद्यालय 1. राजकीय उच्च मा. विद्यालय खेरू बड़ी तथा 2. राजकीय उच्च मा. विद्यालय रामपुरा बेरी को दिया गया है।

अध्ययन का न्यादर्शः प्रस्तुत शोध कार्य के लिए चूरू जिले की ग्रामीण अध्ययनरत बालिकाओं को न्यादर्श के लिए चुना गया हैं। जिसमें बालिकाओं का आयु वर्ग प्रथम वर्ग 9 से 12 वर्ष, द्वितीय वर्ग 12 से 15 वर्ष, तृतीय वर्ग 16 से 18 वर्ष रही। कक्षा 4 से 12 वीं तक एवं वर्ग एसी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग की बालिकाएं थी।

शोध कार्य में प्रयुक्त चरः- आश्रित चर - लैगिंक उत्पीड़न और स्वतन्त्र चर - कार्यस्थल का अध्ययन किया है।

शोधकार्य में प्रयुक्त उपकरणः- प्रस्तुत शोध में आकड़ों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित अर्द्धसंरचित साक्षात्कार प्रश्नावली एवं समूह चर्चा का प्रयोग शोधकत्रा द्वारा किया गया।

परिकल्पना परीक्षण

तालिका सं. 1: विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं में लैंगिक उत्पीड़न के विश्लेषण हेतु प्रसरण विश्लेषण

कक्षा	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन
Class-6th	6	5.6667	1.21106
Class -7th	28	5.1786	1.49204
Class -8th	2	6.0000	1.41421
Class -9th	34	4.9118	1.48462
Class -10th	3	3.6667	.57735
Class -11th	70	4.8429	1.26989
Total	143	4.9510	1.37035

तालिका सं. 2: विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं में लैंगिक उत्पीड़न के विभिन्न आयामों के विश्लेषण हेतु प्रसरण विश्लेषण

लैंगिक उत्पीड़न के आयाम	प्राप्तांकों का स्रोत	योग का वर्ग	df	Mean Square	F	Sig.
सांवेगिक उत्पीड़न	Between Groups	12.543	5	2.509	1.353	.246
	Within Groups	254.114	137	1.855		
सामाजिक उत्पीड़न	Between Groups	2.100	5	.420	.782	.564
	Within Groups	73.565	137	.537		
यौन उत्पीड़न	Between Groups	15.564	5	3.113	.560	.731
	Within Groups	761.863	137	5.561		
शारीरिक उत्पीड़न	Between Groups	2.816	5	.563	.304	.910
	Within Groups	254.023	137	1.854		

सार्थकता स्तर मान 0.05

सम्प्राप्तियां

उपरोक्त तालिका 4.2 में (क) विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं में सांवेगात्मक उत्पीड़न के प्राप्तांकों के मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता एवं प्रमाप विचलन की सार्थकता हेतु एक मार्गीय प्रसरण-विश्लेषण ज्ञात किया गया है। जिसका एफ-परीक्षण का मान 1.353 असार्थक पाया गया है। इसलिए पूर्व निर्धारित उपपरिकल्पना विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं के साथ परिवार में कोई सार्थक सांवेगिक उत्पीड़न नहीं होता है, अस्वीकृत नहीं होती है।

(ख) विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं में सामाजिक उत्पीड़न के प्राप्तांकों का मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता एवं प्रमाप विचलन की सार्थकता हेतु एक मार्गीय प्रसरण-विश्लेषण ज्ञात किया गया है। जिसमें एफ परीक्षण का मान 0.782 असार्थक पाया गया है। इसलिए पूर्व निर्धारित उपपरिकल्पना विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं के साथ परिवार में कोई सार्थक सामाजिक उत्पीड़न नहीं होता है, अस्वीकृत नहीं होती है।

(ग) विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं में यौन उत्पीड़न के प्राप्तांकों का मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता एवं प्रमाप विचलन की सार्थकता हेतु एक मार्गीय प्रसरण-विश्लेषण ज्ञात किया गया है। जिसमें एफ परीक्षण का मान 0.560 असार्थक पाया गया है। इसलिए पूर्व निर्धारित

© 2025 विजय कुमार सारस्वत, डॉ. साहब राम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

उपपरिकल्पना विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं के साथ परिवार में कोई सार्थक यौन उत्पीड़न नहीं होता है, अस्वीकृत नहीं होती है।
(घ) विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं में शारीरिक उत्पीड़न के प्राप्तांकों का मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता एवं प्रमाप विचलन की सार्थकता हेतु एक मार्गीय प्रसरण-विश्लेषण ज्ञात किया गया है। जिसमें एफ परीक्षण का मान 0.304 असार्थक पाया गया है। इसलिए पूर्व निर्धारित उपपरिकल्पना विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं के साथ परिवार में कोई सार्थक शारीरिक उत्पीड़न नहीं होता है, अस्वीकृत नहीं होती है।

निष्कर्ष

- विभिन्न कक्षाओं (6,7,8,9,10 एवं 11) की बालिकाओं ने परिवार में लैंगिक आधार पर सांवेगिक उत्पीड़न के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्वीकार नही किया है।
- विभिन्न कक्षाओ की बालिकाओ ने परिवार में लैंगिक आधार पर सामाजिक उत्पीड़न के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्वीकार नही किया है।
- विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं ने परिवार में लैंगिक आधार पर यौन उत्पीड़न के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्वीकार नही किया है।
- विभिन्न कक्षाओं की बालिकाओं ने परिवार में लैंगिक आधार पर शारीरिक उत्पीड़न के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को स्वीकार नहीं किया है।

REFERENCES

1. Anitha R. A study on domestic violence, coping strategies between rural married women. Int Res J Manag Sociol Humanit. 2016;7(6):184.
2. Anukapur DA. Sociology of battered women. 1987.
3. Astorav R, Venevishtyarami JA. Ijrail me Yahudi aur Arab public school mein yaun utpidan: Bal durbyavahar aur upeksha. 2002;149–66.
4. Berta-Eateve-Volast. Gender discrimination and growth: Theory and evidence from India. London: London School of Economics and Political Science; 2004.
5. Chandarbhan. Mahila ghrelu hinsa. 2001.
6. Domenic CK. India is gender bhedbhav. Lang India [Internet]. 2019. Available from: https://www.languageinindia.com
7. Estav-Bolte V. Gender discrimination and development. Santory and Toyota International for Economics and Related Disciplines. 2004.
8. Ghambir D. Crime against women. Gwalior: Jiwaji Vishwavidyalaya; 2000.
9. Government of India. Eleventh Five Year Plan (2007–2012). Vol II. New Delhi: Planning Commission; 2008.
10. Ballet J, Bhukuth A. The exploitation of Talibe children in Mauritania. J Interpers Violence. 2019.
11. Khandelwal S. Mahila utpidan evam kanuni sanrakshan. Divya Shodh Samiksha. 2015;17–18.
12. Khndela P. Mahila utpidan. Jaipur: Jaipur Publications; 2004.
13. Kubendra A, Anitha P. Gender discrimination. Int Res J Manag Sociol Humanit. 2014;5(10):222.
14. Kumar MS, Mohan-T S. Women development and gender discrimination in India [Internet]. MPRA Paper No. 10950. 2008. Available from: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/10950/
15. Kumar KM. Women in India: How free? How equal? UNDAF; 2001.
16. Kumar SC. Corporate social responsibility and gender issues. J Public Aff [Internet]. 2021 Feb; e2625. Available from: https://doi.org/10.1002/pa.2625
17. Kumari S. Diagnosis, nature, causes of harassment in village women. J Emerg Technol Innov Res. 2015.
18. Lata D. Anusuchit jati mein mahila utpidan. New Delhi: Arjun Publisher House; 2004.
19. Luthar KH, Luthar K. Ameriki, Bhartiya aur Chini chhatron ke beech yaun utpidan ki tulna ki sambhavnayein. Int J Cross Cult. 2008;59–77.
20. Marimuthu SK. Women development and gender discrimination in India. EconPapers [Internet]. 2008. Available from: https://econpapers.repec.org/
21. Mohammad JM. Mahilaon ke virudh gharelu hinsa: Ek samaj shastri adhyayan. AISECT Univ J. 2017;50–62.
22. Vhrina N, Aleck M, Others. Sital second class graduate students mein yaun utpidan. Psychol Women. 2016;114.
23. Panth R. Mahilaon ki swasthya samasyaon aur unke karako ka adhyayan. Shodh Yatra Aspects. 2013;742.
24. Patel A. Mahila utpidan ka silsila kab tak? Yojana. 2002;46–9.
25. Pithmijlevicher EP. A study of gender discrimination in India. J Shiyon Univ Archit Technol. 2020.
26. Rabindranath SM. Bharat mein shiksha aur gender bhedbhav: Ek mahatvapurn adhyayan par adharit karyatmak siddhant. J Crit Rev. 2020;7(2).
27. Sawati JS. Vishakha and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal Act, 2013): An analysis. Int Res J Manag Sociol Humanit. 2016;7(4).
28. Sharma R. Gender inequality in India: Causes and remedies. Int Res J Commer Arts Sci. 2015;6(8):141–4.
29. Singh N. Women and violence. New Delhi: Vikas Publishing; 1989.
30. Sonalde D. Gender inequalities and demographic behaviours: India. New York: The Population Council Inc; 1994.
31. Sunita VA. Gharelu hinsa ke karan, samasyaen evam sujhav: Kanun ki bhumika. Int Ref Res J. 2015.
32. Vijta G. Uchch madhyamik star par adhyayanrat chhatraon mein mahila utpidan se sambandhit kanuni pravdhanon ke prati jagrukta ka adhyayan. Jaipur: Viyani Girls College; 2017.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 विजय कुमार सारस्वत, डॉ. साहब राम. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/